रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229684 CG-DL-E-16092021-229684

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] No. 521] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

सा.का.िन. 635(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिकरण, अपील अधिकरण और प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, को उन बात के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहल किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को लागू होंगे।

5204 GI/2021 (1)

2. परिभाषाएं-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- (क) "अधिनियम" से अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में में विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (क) में है;
- (ग) ''सिमति'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोज-सह-चयन सिमति अभिप्रेत है ;
- (घ) "सदस्य" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) में है;
- (ङ) "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ड.) में है;
- (च) उन शब्दों और पदों के, जो उसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति

- 3. अर्हताएं—(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन औद्योगिक अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह—
 - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
 - (ख) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो।
 - (2) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण की दशा में कोई व्यक्ति:--
 - (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न हो और जो किसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा न की हो या आय-कर अपील अधिकरण का उपाध्यक्ष न रह चुका हो;
 - (ख) उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह सदस्य न रह चुका हो ; और
 - (ग) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि,--
 - (i) वह दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ; या
 - (ii) वह मुकदमें में दस वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो या दो वर्ष की अवधि के लिए अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्चत्तर पद धारित न किया हो ; या
 - (iii) आय-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर विधियों के अधीन मुकदमें में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;
 - (घ) लेखा सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि,--
 - (i) वह लेखा-कर्म में पच्चीस वर्ष का अनुभव न रखता हो,--
 - (अ) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेंट न रह चुका हो ; या
 - (आ) पूर्ववर्ती प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत लेखापाल; या भागत: उक्त पंजीकृत लेखापाल और भागत: चार्टर्ड अकाउन्टेंट न रह चुका हो ; या

- (ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य न रह चुका हो ; और आय-कर प्रधान आयुक्त या इसके समतुल्य या उच्चत्तर पद को धारित न कर चुका हो तथा तीन वर्ष के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या निर्णायक कृत्यों को न कर चुका हो ।
- (3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति,--
- (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि
 - (i) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो और जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष तक की सेवा न कर चुका हो या न रह चुका हो ; या
 - (ii) वह अपील अधिकरण का सदस्य न रह चुका हो ;
- (ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि,-
 - (i) वह दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ; या
 - (ii) वह मुकदमें में दस वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रह चुका हो या दो वर्ष की अवधि के लिए अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्चत्तर पद धारित न किया हो ; या
 - (iii) सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यक्ष-कर विधियों के अधीन मुकदमें में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;
- (ग) तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न रह चुका हो ; और सीमा-शुल्क प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या इसके समतुल्य या उच्चत्तर पद धारित न कर चुका हो या तीन वर्ष के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या न्याय निर्णायक को न कर चुका हो।
- (4) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति—
 - (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रह चुका हो;
 - (ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि भारत सरकार में अपर सचिव या उसके समतुल्य या उच्चत्तर पद धारित न कर चुका हो और तीन वर्ष के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या न्याय निर्णायक कृत्यों को न कर चुका हो।
- (5) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन अधिकरणों की दशा में, कोई व्यक्ति—
- (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
 - (ii) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित न कर चुका हो ;
- (ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
 - (ख) भारत सरकार में अपर सचिव या सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग सहित विधि कार्य मामले विभाग या विधायी विभाग में इसके समतुल्य या उच्चत्तर पद धारित न कर चुका हो ;

- (ग) वह दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ;
- (घ) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा मामलों के मुकदमें में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;
- (ग) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह भारत सरकार के अपर सचिव या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारित न कर चुका हो और ऐसा वेतनमान धारित न कर रहा हो, जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो :

परंतु अखिल भारतीय सेवा के वे अधिकारी, जो किसी निम्नतर पद के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे या हैं, वे उस तारीख से, जिस तारीख से ऐसे अधिकारी प्रोफार्मा प्रोन्नति या वास्तविक प्रोन्नति प्रदान की गई थी, जो अपर सचिव के स्तर से पूर्वतर है, अपर सचिव के पद को धारित किया हुआ समझा जाएगा और ऐसी तारीख के पश्चात् केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत अवधि इस खंड के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

- (6) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति—
- (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
 - (ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, यथास्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य न रह चुका हो।
- (ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
 - (ii) मुकदमें में दस वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रह चुका हो और अपर सचिव या कोई समतुल्य या अन्य उच्चत्तर पद धारित न कर चुका हो ; या
 - (iii) कम से कम दो वर्ष के लिए सिविल न्यायिक पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो, धारित करता हो; या
 - (iv) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में पद धारित न कर चुका हो ।
- (ग) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (i) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारित न रह चुका हो ; या
 - (ii) दो वर्ष की अवधि के लिए रेल प्रशासन के अधीन किसी पद को, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो, धारित न कर चुका हो और रेल से संबंधित दावे और वाणिज्यिक मामलों में नियम और प्रक्रिया तथा अनुभव में पर्याप्त ज्ञान न रखता हो ।
- (घ) कोई व्यक्ति, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,--
 - (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ;
 - (ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ;
 - (iii) रेल दावा अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीवन और संपत्ति से क्षति से संबंधित दावे के निपटारे में मुकदमें में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;
- (ड.) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह रेल से संबंधित दावे और वाणिज्यिक मामले में कम से कम पच्चीस वर्ष का नियमों और प्रक्रिया में योग्यता, सत्यनिष्ठा और विशेष ज्ञान न रखता हो।

- (7) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति—
- (क) पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रह चुका हो ;
- (ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह—
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या
- (ii) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, प्रतिभूति अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव सहित दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो ।
- (ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि,-
- (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई समतुल्य या उच्चतर पद धारण न किया हो; या
- (ii) प्रमाणित योग्यता, सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास वित्तीय क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियाँ चिन्हांकन या पेंशन निधि या वाणिज्या व्युत्पाद या बीमा भी है कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो :-

परन्तु बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रंबंधन स्तर पर कोई व्यक्ति, उसकी सेवा या कार्यकाल के दौरान यथास्थिति, बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या प्रतिभूति अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या ऐसे अधिकारियों के साथ उस तारीख से दो वर्ष के भीतर जिस पर वह बोर्ड या ऐसे अधिकरणों में पद धारण करने से प्रविरत न हो जाता।

परन्तु यह और कि पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जैसा कि ऐसा पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए संभाव्य है ।

- (8) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति तब तक वह ऋण वसूली अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह जिला न्यायधीश न हो या न रहा हो।
- (9) बैंकों और वित्तीय सस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम, 1993 (1993 का51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति तब तक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह-
- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ख) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो जिसके पास मुकदमेबाजी का दस वर्ष का अनुभव न हो और अपर सचिव या कोई समतुल्य या किसी उच्चतम पद पर पदधारण न किया हो ; या
- (ग) किसी ऋण वसूली अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष तक पदधारण न किया हो ।
- (10) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अधीन दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण की बाबत कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-
- (क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-
- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) सदस्य, जब तक कि वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, दूर संचार या ऐसे अन्य मामले जो दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण पर उपयोगी हो में कम से कम पच्चीस वर्ष विशेष अनुभव और वृत्तिक अनुभव न हो।
- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा

- (क) अध्यक्ष जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में पांच वर्ष तक न्यायिक सदस्य न रहा हो ; या
- (iii) ऐसा अधिवक्ता जिसके पास राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कंपनी कार्य संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी का दस वर्ष तक का पर्याप्त अनुभव न रहा हो ।
- (ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह प्रमाणित योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हों जिनके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निमाण, विनिधान, लेखा कर्म या ऐसे अन्य मामले जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हो, में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो ।
- (12) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की दशा मे कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-
- (क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-
- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) सदस्य, जब तक कि वह-
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) दस वर्ष की अवधि तक जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में न रहा हो ; या
- (iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कर्म, प्रबंध, उधोग, लोक कार्य, प्रशासन या ऐसे अन्य मामले जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी हो, में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न रहा हो।
- (13) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत अपील अधिकरण की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-
- (क) अध्यक्ष. जब तक कि वह-
- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो: या
- (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के रूप में न रहा हो ; या
- (iii) ऐसा अधिवक्ता जिनके पास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्युत क्षेत्र संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी का दस वर्ष का विशेष अनुभव न हो ।
- (ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, विनियम, अर्थशास्त्र कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या ऐसे अन्य मामले जो अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हों में कम से कम पच्चीस वर्ष तक का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो।
- (14) सशस्त्र बल अधिनियम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सशस्त्र जब अधिकरण की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-
- (क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-
- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या

- (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) ऐसा अधिवक्ता जिसके पास केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों का मुकदमेबाजी का दस वर्ष का पर्याप्त अनुभव न हो ।
- (ग) प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि
- (i) जिसने सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर की पंक्ति का पद अथवा नौसेना या वायुसेना में समतुल्य पंक्ति का पद तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए धारण किया हो या कर रहा हो ; या
- (ii) जिसने सेना या नौसेना अथवा वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में एक वर्ष से अधिक सेवा न की हो और क्रमशः उसकी पंक्ति मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर से अन्यून न हो; या
- (iii) कोई व्यक्ति जिसमें योग्यता, सत्यिनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा हो और जो अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक-कार्य, प्रशासन या कोई अन्य मामला जो सशस्त्र बल अधिकरण के लिए उपयोगी हो में तीस वर्ष से अनिधक का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न रखता हो।
- (15) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दशा में कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा
- (क) अध्यक्ष के रूप में, जब तक कि वह,-
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ।
- (ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि -
- (i) किसी उच्च न्यायाधीश न हो या न रहा हो ; या
- (ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो ; या
- (iii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, किसी उच्च या उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण और वन से संबंधित मामलों में मुकदमेंबाजी के सारवान् अनुभव के साथ दस वर्ष के लिए अधिवक्ता न रहा हो ।
- (ग) विशेषज्ञ सदस्य, जब तक कि वह-
- (i) विज्ञान मे डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डाक्ट्रेट डिग्री और प्रख्यात राष्ट्रीय स्तरीय संस्था में वन तथा पर्यावरण (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण परिसंकटमय पदार्थ प्रबंध, पर्यावरण समाधान निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रंबंध, जैव-विज्ञान विविधता प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण भी है) के क्षेत्र में पांच वर्ष के व्यावहारिक अनुभव सहित सुसंगत क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव न रखता हो।
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रख्यात संस्था में पर्यावरणीय मामलों के साथ व्यौहार करने के पांच वर्ष के अनुभव सहित पच्चीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव न रखता हो ।

4. सदस्यों और अध्यक्षों के पदों के लिए चयन,-

- (1) समिति भरे जाने वाले सदस्यों के प्रस्तावित पदों का ब्यौरा देते हुए सदस्य सचिव के माध्यम से रिक्ति परिपत्र ऐसे उपांतरण जो उचित समझा जाए करने के पश्चात् प्ररूप 1 में जारी करा सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है –
- (क) विद्यमान और भावी रिक्तियों की संख्या,
- (ख) अर्हताएँ
- (ग) वेतन और भत्ते
- (घ) आवेदन के लिए रूप विधान, और
- (ङ) आवेदन भरने के लिए अंतिम तारीख।

- (2) समिति परिपत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अर्हताओं की छानबीन करेगी या कराएगी और वैक्तिक अन्योन्यक्रिया के लिए पात्र अभ्यर्थियों को ऐसी संख्या में शार्टलिस्ट कर सकेगी जैसा वह उचित समझे ।
- (3) अध्यक्ष के पद के लिए समिति या तो रिक्तियों का परिपत्र जारी करा सकेगी और आवेदन मांग सकेगी और/ या नियुक्ति के लिए पात्र उपयुक्त व्यक्तियों की खोज कर सकेगी और अध्यक्ष के पद पर चयन के किए निर्धारण कर सकेगी,
- (4) समिति अभ्यर्थी की पात्रता के संपूर्ण निर्धारण के आधार पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी जिसके अंतर्गत उपयुक्तता पर ध्यान देने के पश्चात् वैयक्तिक अन्योन्याक्रिया के माध्यम से निर्धारण पूर्व प्रदर्शन का अभिलेख, विश्वसनीयता साथ ही साथ अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान मे रखते हुए न्यायनिर्णायक अनुभव भी है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के उपबंधो के अनुसार प्रत्येक पद के लिए जिस हेतु चयन किया जाना है दो नाम के पैनल की सिफारिश करेगी।

5. पुनर्नियुक्ति के लिए चयन -

- (1) पुनर्नियुक्ति के किए किसी आवेदन पर उसी रीति से अधिमानतः रिक्ति परिपत्र या अन्यथा के प्रत्युत्तर में शार्ट लिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, जो रीति मूल नियुक्ति के लिए है,
- (2) किसी पद पर उपयुक्तता के लिए निर्धारण करते समय समिति पुनर्नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को अधिकरण में उनके अनुभव के लिए अतिरिक्त अधिमान देगी और ऐसा करते समय ऐसे व्यक्ति के अधिकरण के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय प्रदर्शन का ध्यान रखेगी।
- **6. अध्यक्ष और सदस्यों की चिकित्सीय उपयुक्तताः-** कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित नहीं किया गया हो ।
- 7. आकस्मिक रिक्ति.— (1) निम्नलिखित के पद में आकस्मिक रिक्ति की दशा में,--
- (क) अध्यक्ष की दशा में, केन्द्रीय सरकार को उपाध्यक्ष या उपसभाध्यक्ष या उपसभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में अधिकरण के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (ख) ऋण वसूली अपीली अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (ग) ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की दशा में, ऋण वसूली अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (घ) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, संबंधित राज्य सरकार को किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

अध्याय 3

अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र या हटाया जाना

8. त्यागपत्र.— अध्यक्ष या सदस्य, किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित में संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पदमुक्त होना अनुज्ञात नहीं किया जाता है वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद धारण नहीं कर लेता अथवा उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

- 9. शिकायतों की जांच करने के लिए प्रक्रिया.— (1) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष या सदस्य के संबंध में उसके पद के कृत्यों के पालन में कदाचार या असर्मथता के किसी निश्चित आरोप का अभिकथन करते हुए लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगी।
- (2) जहां प्रारंभिक छानबीन पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अध्यक्ष या सदस्य के कदाचार या असर्मथता की सत्यता की जांच करने की लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह समिति को निर्देश करेगी।
- (3) समिति जांच करेगी या किसी व्यक्ति द्वारा जांच कराएगी जो-
- (क) जहां जांच अध्यक्ष के विरुद्ध है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है अथवा रहा है, या
- (ख) जहां जांच सदस्य के विरुद्ध है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

- (4) जांच ऐसे समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर पूरी की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिमानत: छह माह के भीतर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (5) समिति, जांच के निष्कर्ष के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण मामले पर ऐसी टीका-टिप्पणियों के साथ जो वह उचित समझे पृथक रूप से प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्ष और उस पर के कारणों का उसमें कथन करते हुए अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
- (6) सिमिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होगी लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उसकी जांच की तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है, विनियमित करने की शक्ति होगी।

अध्याय 4

वेतन और भत्ते

- **10. वेतन.**—(1) अध्यक्ष को ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को छोड़कर, 2,50,000 रुपये (नियत) वेतन प्रतिमाह संदत्त किया जाएगा।
- (2) सदस्य को 2,25,000 रुपये वेतन प्रतिमाह संदत्त किया जाएगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200 रुपये वेतन संदत्त किया जाएगा।
- (4) किसी व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में यदि उसे पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल रकम को घटा दिया जाएगा ।
- 11. भत्ते.— (1) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते और फायदों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जो भारत सरकार के समान वेतन वाले समूह 'क' पद धारण करने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है।
- (2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 1 जनवरी, 2021 से अध्यक्ष या सदस्य के पास तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आवास सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा अथवा वे निम्नलिखित सीमा के अध्यधीन रहते हुए मकान किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे-
- (क) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के सिवाय अध्यक्ष की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिमाह ; और
- (ख) अधिकरण के सदस्य और ऋण वसूली अधिकरण तथा औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की दशा में एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह ।
- 12. परिवहन भत्ता.—अध्यक्ष या सदस्य स्टाफ कार नियमों के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार में समूह 'क' पद धारण करने वाले समान वेतन वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार शासकीय और निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा हेतु स्टाफ कार की सुविधा के लिए हकदार होंगे।

अध्याय 5

पेंशन, भविष्य निधि, उपदान और छुट्टी

- 13. पेंशन, भविष्य निधि और उपदान.—(1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या किसी संगठित सेवा के सदस्य को अध्यक्ष या सदस्य केरूप में नियुक्त किए जाने की दशा में, अधिकरण की सेवा, उस सेवा जिससे वह संबंधित है के नियमों के अनुसार पेंशन आहरित किए जाने के लिए गणना में ली जाएगी और यथास्थिति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 या अंशदायी पेंशन प्रणाली तथा उसे लागू पेंशन के लिए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- (2) अन्य सभी मामलों में, सदस्य यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 या अंशदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- (3) अधिकरण में दी गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगी।

- 14. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष या सदस्य प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तीस अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।
- (2) किसी कैलेंडर वर्ष में अध्यक्ष या सदस्यों को आठ से अधिक आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकेगी।
- (3) छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी), नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगी।
- (4) अध्यक्ष या सदस्य इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, उसके खाते में विद्यमान अर्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी भुनाने का हकदार होगा कि अधिकतम छुट्टी भुनाना जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, किसी भी दशा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगी।
- (5) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी निम्नानुसार होगा –
- (क) सदस्य के लिए अध्यक्ष;
- (ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष या राज्य प्रशासनिक के अध्यक्ष के लिए संबंधित राज्य सरकार; और
- (ग) खंड (ख) में समाविष्ट से भिन्न की दशा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार।
- (6) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या सदस्यों की विदेश यात्रा के लिए मंजूरी प्राधिकारी होगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

- **15. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.** अध्यक्ष या सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों और वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा करेगा।
- **16. सेवा की अन्य शर्तें.**—(1) अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तों जिसके लिए इन नियमों में स्पष्ट उपबंध नहीं बनाए गए हैं ऐसी होगी जो समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के समान वेतन वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य उस अधिकरण की सेवाओं से सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकरण के समक्ष कोई व्यवसाय नहीं करेगा ।
- (3) अध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते समय कोई माध्यस्थम् समन्देशन नहीं करेगा।
- (4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद पर बना नहीं रहता है दो वर्ष की अवधि के लिए कोई नियोजन किसी व्यक्ति जो अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का पक्षकार है के प्रबंध या प्रशासन में या उससे संसक्त नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या किसी कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होंगे।

17. पद और गोपनीयता की शपथ.-- अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले इन नियमों से उपाबंध प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

प्ररूप I

(नियम 4 देखें)

[आवेदन के प्ररूप सहित रिक्ति परिपत्र का प्ररूप]

फा. सं.

| भारत सरकार | |
|------------|---|
| मंत्राल | ર |
| विभाग | η |

| कमरा ग. |
|------------------|
| नई दिल्ली-110001 |
| दिनांक: |

रिक्ति परिपत्र

| <u>1. र</u> | अधिकरण:- (अधिकरण का नाम) | अधिकरण, | अधिनियम के अंतर्गत स्थापि |
|-------------|--|--|--------------------------------------|
| : | अपीलीय अधिकरण है जो <u>अधिनियम</u> | <u>। </u> | विभिन्न अपीलों की सुनवाई करत |
| | का मुख्यालय | म <u></u> | में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय न्या |
| : | में स्थित है। सदस्य, को चयन के पश्चात इन | में से किसी भी स्थान पर तैनात । | केया जा सकता है। |
| <u>2. f</u> | रिक्ति:- निम्नलिखित विद्यमान और | प्रत्याशित रिक्तियों के लिए आ | वेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। |
| <u>2. t</u> | <u>रीक्त:-</u> निम्नलिखित विद्यमान आर | प्रत्याशित रिक्तिया के लिए आव | वेदन आमित्रित किए जा रहे हैं। |

- 3. योग्यता:- अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, पात्रता, वेतन और अन्य निबंधन व शर्तें, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होंगी
- 4. चयन की प्रक्रिया:- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित खोज सह- चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को समुचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की छानबीन करेगी और वैयक्तिक परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए अभ्यर्थियों को चुनेगी। योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक विचार-विमर्श के आधार पर समिति द्वारा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
- 5. आवेदन की प्रक्रिया:- योग्य और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन उचित माध्यम (जहां कहीं लागू हो) द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके साथ (i) अनुबंध- I पर दिए प्रपत्र में जीवन वृतांत (ii) अनुबंध II में दिए गए नियोक्ता/कार्यालयध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाला प्रमाणपत्र (iii) अधिकारी के अद्यतन सीआर/एपीएआर की स्पष्ट प्रतिलिपियां जिनमें किसी समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर

| शामिल हों (iv) संवर्ग सतर्कता (v) अनुबंध- III में सतर्कता एवं अनुशा | सनिक कोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/निकासी (vi) |
|---|---|
| विगत दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी या बर्ड़ | ो शास्तियों, यदि कोई है, का विस्तृत विवरण, |
| निम्नलिखित पते पर भेजदिया जाए, ताकि इस कार्यालय में | तक पहँच जाए। |

[नाम और पता]

- 6. साक्षात्कार/परस्पर विचार विमर्श के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/महँगाई भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 7. विज्ञापन और निर्धारित आवेदन प्रपत्र मंत्रालय/अधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 8. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त और उपर्युक्त उल्लिखित आवश्यक अनुबंध के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी संगठनों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तार से प्रचार किया जाए ताकि शीघ्र और इष्टतम संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें।

(हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम) अवर सचिव, भारत सरकार/निदेशक

<u>अनुलग्नक-।</u>

<u>प्रपत्र</u>

उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर हेतु स्थान

1. नाम :

2. जन्म तिथि :

3. वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/यूआर) :

4. पदनाम/व्यवसाय :

5. संपर्क विवरण :

| | आवासीय | | अधिकारिक |
|------------|-----------|--------|----------|
| | वर्त्तमान | स्थायी | |
| पता | | | |
| मोबाईल/फोन | | | |
| नं. | | | |
| ईमेल: | | | |

- 6. संवर्ग/सेवा [जहां कहीं लागू हो]
- 7. शैक्षिक योग्यता (उत्क्रम कालानुक्रम में)

| क्रम.सख्या | विश्व विद्यालय | डिग्री | उत्तीर्ण करने | प्राप्त अंकों का | शैक्षणिक | विषय/विशेषज्ञता |
|------------|--------------------|--------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| | /समकक्ष संस्थान का | | का वर्ष | प्रतिशत (%) | योग्यता | |
| | नाम | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. कार्य का अनुभवः

8क) वर्तमान रोजगार से शुरू करते हुए कालानुक्रम में कर्मचारी के रूप में अनुभव का रिकॉर्ड, उत्क्रम में बताएं:

| क्रम. संख्या | नियोक्ता का नाम एवं पता | पदनाम/वेतन या वेतनमान | सेवा की अवधि | प्रे | कार्य की |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|
| | (सरकार/पीएसयू/मंत्रालय/विभा | (वेतन मैट्रिक्स में वेतन)* | दिनांक से | तक | प्रकृति/अनुभ |
| | ग/कोई अन्य) | | | | व |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

^{*}साथ ही ऊपर क्रम सं. दर्शाएं जो अपर सचिव/जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मेजर जनरल (अर्हता के तहत जैसा भी लागू हो) अथवा उससे ऊपर के समकक्ष हो।

8ख) वर्तमान वचनबधत्ता से शुरू करते हुए कालानुक्रम में पेशेवर अनुभव का रिकॉर्ड, उत्क्रम में बताएं

| क्रम. संख्या | व्यवसाय का विवरण | सेवा की अवधि | | किए गए कार्य की प्रकृति* |
|--------------|------------------|--------------|----|--------------------------|
| | | से | तक | |
| | | | | |

^{*}जैसे प्रशासन /सेवा मामले /न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक /दांडिक /सिविल /कर-निर्धारण /कंपनी मामले /पर्यावरण संबंधी मामले /वित्त /लेखा /अर्थशास्त्र /व्यवसाय /वाणिज्य /प्रबंधन /सार्वजनिक मामले अथवा कोई अन्य, जैसा भी लागू हो/ सरकार के साथ नियोजन, यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।

भारत सरकार के अपर सचिव/
जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/
मेजर जनरल अथवा कोई अन्य समकक्ष
रैंक (जहां कहीं लागू हो) के ग्रेड में वेतनमान
प्राप्त करने की तिथि
 आवेदक के न्याय निर्णयन अनुभव पर
आलेख (200 शब्दों में)

 संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों के संचालन में संक्षिप्त

(जहां कहीं पर लागू हो)

अनुभव (यदि लागू हो)

ऐसे मामलों का विवरण

(रिपोर्ट किए गए मामले/मामले जिनकी रिपोर्ट नहीं हुई) विवरण सहित

12. अनुभव का प्रमाण, जिसमें अधिवक्ता/चार्टर्ड आकउंटेंट : आदि के रूप में नामांकन सं/पंजीकृत सं. शामिल हो। [सरकारी या न्यायिक अधिकारी के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए]

13. वार्षिक आय, जिसके साथ अद्यतन आयकर विवरणिका हो [सरकारी या न्यायिक अधिकारी के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए]

14. मुख्य उपलब्धियों पर 05 आलेख [200 शब्द प्रत्येक]

15. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन, यदि कोई हो,

16.राजनैतिक दल सहित व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/ सोसाइटियों/किसी अन्य निकाय के साथ संबंधन।

17. कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका पद के लिए किए गए आवेदन के समर्थन में उल्लेख करना चाहे।

घोषणा

- 1. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णत: सही एवं पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया/विरुपित नहीं किया गया है। यदि किसी समय मेरे द्वारा किसी सामग्रीगत सूचना को छिपाने/विरुपित किए जाने का ज्ञान होगा तो मेरी उम्मीदवारी/सेवांऍ किसी प्रकार के नोटिस के बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।
- 2. चयन समिति की बैठक के बाद मैं अपनी अभ्यर्थिता को वापस नहीं लूँगा।
- 3. नियुक्ति के लिए एसीसी द्वारा चयनित किए जाने पर मैं नियुक्ति को मना नहीं करूँगा।
- 4. मैं नियुक्ति के आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करूँगा।
- 5. मैं इसे जानता हूँ कि यदि मैं क्रम सं.2 से 4 में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करूँगा तो भारत सरकार द्वारा मुझे संवर्ग-बाह्य तथा किसी स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय तथा विनियामक निकाय में नियुक्ति हेतु विचार के लिए तीन वर्ष की अविध के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

| TOT | т. | |
|-----|-----|--|
| स्थ | ۱٩. | |

दिनांक: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

7.

अनुलग्नक-II

नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

| | 1. | प्रमाणित किया जात | ता है कि श्री/श्रीमती/कुग | मारी | द्वारा | दिया गया विवरण सही |
|----------|------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| | | है तथा उनके पास ३ | ग्नुबंध- । में उल्लिखित | शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभ | व हैं। | |
| | 2. | यह भी प्रमाणित वि | hया जाता है कि उनके | विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशास | नात्मक मामला लंबित या ' | विचाराधीन नहीं है और |
| | | सीपीओ द्वारा संलग्न | अनुलग्नक (III) में सतव | र्कता मंजूरी जारी की गई है। | | |
| | 3. | उनका/उनकी सत्यिन | नेष्ठा प्रमाणित की गई है | है। | | |
| | 4. | पिछले 10 वर्षों की | अवधि के दौरान श्री | /श्रीमती/कुमारी | | पर कोई गंभीर या |
| | | मामूली जुर्माना नही | ों लगाया गया। | | | |
| | 5. | पिछले वर्षों के एसी | आर/एपीएआर के नवी | नतम साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रा | तेयां (एसीआर/एपीएआर व | की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति |
| | | साक्ष्यांकित होनी च | ाहिए) श्री/श्रीमती/कुम | ारी के संबंध | के संबंध रे | में इसके साथ संलग्न है। |
| | | | | | संवर्ग नियंत्रण प्राधिका | री की मुहर एवं हस्ताक्षर |
| | | | | <mark>तरण जिसके लिए सतर्कता निका</mark> प्रथवा विभाग के प्रमुख द्वारा हस् | | <u>अन</u> ुलग्नक-III |
| 1. | अधि | धेकारी का नाम (पूरा | नाम) | : | | |
| 2. | पित | ा का नाम | | : | | |
| 3. | जन्म | न तिथि | | : | | |
| 4. | सेव | ा निवृत्ति की तारीख | | : | | |
| 5. | सेव | ा में प्रवेश की तारीख | | : | | |
| | | ध्रेकारी किस सेवा से स संवर्ग आदि जहाँ कहीं | नंबंधित है, (जिसमें, लागू हो, बताया जाए |) : | | |
| 7. | धार्ति | रेत पद (पूर्ववर्ती दस | वर्षों के दौरान) | : | | |
| <u>я</u> | _{5.सं.} | संगठन (पूरा नाम) | पदनाम तथा तैनाती का स्थान | संबंधित प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/विभाग का नाम (पीएसयू आदि के अधिकारिय मामले में) | | तक |

- 8. क्या अधिकारी को संदिग्ध सत्यनिष्ठा की सहमत सूची या अधिकारी सुची में रखा गया है। (यदि हां, तो विवरण दिया जाए)
- 9. क्या अधिकारी के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों के दौरान सतर्कता : दृष्टि सहित किसी कदाचार के आरोप की जांच की गई है। यदि हों तो फैसला क्या था (*)
- 10. क्या अधिकारी को पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई संज़ा दी गई है, यदि हां तो उसकी तारीख तथा दंड(*) का विवरण
- 11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई अनुशासनात्मक/दांडिक कार्रवाई या चार्टशीट लंबित है। (यदि हां, तो संदर्भ संख्या, यदि किसी भी आयोग के, सहित विवरण दें)
 12. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई कार्रवाई विचाराधीन है।(यदि हाँ तो विवरण दें (*)
- (*) यदि विगत समय में आयोग से सतर्कता निकासी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध करें।

तारीख:

(नाम और हस्ताक्षर)

प्ररूप II

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के लिए पद की शपथ का प्ररुप

मैं, ए.बी., के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूं (अधिकरण का नाम सत्यिनष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं या मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और कर्तव्यिनष्ठा से बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार करुंगा/करुंगी और मैं संविधान और कानून की व्यवस्थ्या को बनाए रखूंगा/रखूंगी।

प्ररूप III

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र

मैं, ए.बी., (न्यायाधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पश्चात्, सत्यिनष्ठा से पृष्टि करता/करती हूं या मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी बात जिसे मेरे विचार के अधीन लाया जाएगा या मुझे अध्यक्ष/सदस्य/उक्त (अधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक होने के लिए ज्ञात होगा, नहीं बताउंगी या प्रकट करंगी।

[फा.सं.ए-50050/9/2016-प्रशा.1 सी (सीईएसटीएटी) (भाग-1)] ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

नियम 11, 2020 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 804 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निणर्य को प्रभावी करने के लिए 1 जनवरी, 2021 से पूर्वव्यापी प्रचालन देता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पूर्वव्यापी प्रचालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

G.S.R. 635 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021) and in supersession of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—

- (1) These rules may be called the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021.
- (2) Save as provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall apply to the Chairperson and Member of the Tribunal as specified in column (2) of the First Schedule of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021).
- **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, (a)"Act" means an Act specified in column (3) of the First Schedule to the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021);
- (b) "Chairperson" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of the section 2 of the Act;
- (c) "Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act;
- (d) "Member" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of the section 2 of the Act;
- (e) "Tribunal" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

CHAPTER II APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBER

- **3. Qualifications.** (1) In case of Industrial Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), a person shall not be qualified for appointment as *Presiding Officer*, unless he,-
 - (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.
- (2) In case of Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), a person shall not be qualified for appointment as ,-
 - (a) *President* unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal;
 - (b) Vice-President, unless he has been a Member; and
 - (c) Judicial Member, unless,—
 - (i) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (ii) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or
 - (iii) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court;
 - (d) Accountant Member, unless,
 - (i) he has for twenty-five years been in the practice of accountancy,—
 - (A) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
 - (B) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or

- (ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
- (3) In case of Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52of 1962), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) *President* unless,
 - (i) he is, or has been, a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or
 - (ii) he is the member of the Appellate Tribunal;
 - (b) Judicial Member, unless,
 - (i) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (ii) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or
 - (iii) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court;
 - (c) Technical Member, unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
- (4) In case of Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairman, unless he is, or has been, a Judge of a Supreme Court or Chief Justice of a High Court;
 - (b) *Member*, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
- (5) In case of Tribunals under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), a person shall not be qualified for appointment as.-
 - (a) Chairman, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal.
 - (b) Judicial Member, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member–Secretary, Law Commission of India; or
 - (iii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iv) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.
 - (c) Administrative Member, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Additional Secretary from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Additional Secretary and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.

- (6) In case of Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairman, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be.
 - (b) Vice-Chairman (Judicial), unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post; or
 - (iii) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or
 - (iv) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.
 - (c) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he,
 - (i) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or
 - (ii) has, for two years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.
 - (d) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal, High Court or Supreme Court.
 - (e) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.
- (7) In case of Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) *Presiding Officer* unless he is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court;
 - (b) Judicial Member unless,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.
 - (c) Technical Member unless,
 - (i) has held the post of Additional Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent or higher post in the Central Government or a State Government; or
 - (ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance:

Provided that a Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure

as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities:

Provided further that the Presiding Officer or Member shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member.

- (8) In case of Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), a person shall not be qualified for appointment as *Presiding Officer* of the Debts Recovery Tribunal, unless he, is, or has been, a District Judge.
- (9) In case of Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), a person shall not be qualified for appointment as *Chairperson*, unless he,
 - (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post; or
 - (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for three years.
- (10) In case of Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairperson, unless he, -
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
 - (b) *Member* unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.
- (11) In case of National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) *Chairperson* unless he is, or has been, a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court;
 - (b) Judicial Member unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.
 - (c) Technical Member unless he is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.
- (12) In case of National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) President, unless he, -
 - (i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
 - (b) *Member* unless he,–
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law,

finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.

- (13) In case of Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairperson, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
 - (b) Judicial Member, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court.
 - (c) Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.
- (14) In case of Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairperson, unless he, -
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court.
 - (b) Judicial Member unless he is-
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.
 - (c) Administrative Member, unless he, -
 - (i) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or
 - (ii) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or
 - (iii) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than thirty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.
- (15) In case of National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), a person shall not be qualified for appointment as,-
 - (a) Chairperson, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
 - (b) Judicial Member, unless he,
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

- (iii) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (c) Expert Member, unless he, -
 - (i) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or
 - (ii) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.
- **4. Selection for posts of Members and Chairpersons.** (1)The Committee may cause a vacancy circular to be issued through the Member-Secretary, giving details of the posts of Members proposed to be filled up, including the following—
 - (a) number of existing and anticipated vacancies;
 - (b) qualifications;
 - (c) salary and allowances;
 - (d) format for application; and
 - (e) last date for filing of applications,

in Form-I after making such modifications as may be deemed fit.

- (2) The Committee shall scrutinise, or cause to be scrutinised, every application received in response to the circular, against the qualifications and may shortlist such number of eligible candidates for personal interaction as it may deem fit.
- (3) For the post of Chairperson, the Committee may, either cause a vacancy circular to be issued and call for applications or search for suitable persons eligible for appointment and make an assessment for selection to the post of Chairperson.
- (4) The Committee shall make its recommendations based on the overall assessment of eligible candidates including assessment through the personal interaction after taking into account the suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view the requirements of the Tribunal and shall recommend a panel of two names for every post for which selection is being done in accordance with the provisions of sub section (7) of section 3 of the Act.
- **5. Selection for re appointment.** (1) An application for re-appointment shall be considered in the same manner as that for the original appointment, preferably, alongwith all the persons shortlisted in response to the vacancy circular or otherwise.
- (2) While making its assessment for suitability to a post, the Committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a Member or a Chairman in the Tribunal.
- **6. Medical fitness of Chairperson and Member.**—No person shall be appointed as the Chairperson or Member of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.
- 7. Casual vacancy.— In case of a casual vacancy in the office of,—
 - (a) the Chairperson, Central Government may appoint one of the Vice-Chairpersons or Vice-Chairman, Vice-Presidents or in their absence, one of the Members of the Tribunal, to officiate as Chairperson;
 - (b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government may appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson;
 - (c) the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal may appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Tribunal to officiate as Presiding Officer;
 - (d) the Chairperson of the State Administrative Tribunals, the respective State Government may appoint one of the Members to officiate as Chairperson.

CHAPTER III RESIGNATION OR REMOVAL OF CHAIRPERSON OR MEMBER

8. Resignation.— Chairperson or Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

- **9. Procedure for inquiry into complaints.** (1) Where a written complaint alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairperson or Member is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
- (2) Where, on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairperson or Member, it shall make a reference to the Committee.
- (3) The Committee shall conduct an inquiry or cause an inquiry to be conducted by a person who is, or has been, a -
 - (a) Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against a Chairperson; or
 - (b) Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.
- (4) The inquiry shall be completed within such time or such further time as may be specified by the Central Government preferable within six months.
- (5) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
- (6) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

CHAPTER IV SALARY AND ALLOWANCES

- **10. Salary.** (1) The Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal and Presiding Officer of the Industrial Tribunal shall, be paid a salary of Rs. two lakh fifty thousand (fixed) per month.
- (2) The Member shall be paid a salary of Rs. two lakh twenty- five thousand per month.
- (3) A Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary in the pay level of Rs.1,44,200 2,18,200.
- (4) In case of a person appointed as the Chairperson, or Member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
- **11. Allowances.** (1) The Chairpersons and Members shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the 1st January, 2021, the Chairperson or Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or shall be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of -
 - (a) one lakh fifty thousand rupees per month in case of Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal and Presiding Officer of the Industrial Tribunal; and
 - (b) one lakh twenty-five thousand rupees per month in case of Members of Tribunals and Presiding Officers of Debts Recovery Tribunal and the Industrial Tribunal.

12. Transport allowance.— The Chairperson, or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of Staff Car Rules.

CHAPTER V PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE

- 13. Pension, Provident Fund and Gratuity.— (1) In case of a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a Member of an organised Service appointed as the Chairperson or Member, the service in the Tribunal shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 or the Contribution Pension System, as the case may be ,and the rules for pension applicable to him.
- (2) In all other cases, the Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 or the Contribution Pension System, as the case may be.
- (3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.
- **14. Leave.** (1) The Chairperson or a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.
- (2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairperson or a Member in a calendar year.
- (3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
- (4) The Chairperson or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules,1972.
- (5) Leave sanctioning authority for the-
 - (a) Member, shall be Chairperson;
 - (b) Chairperson of the State Administrative Tribunal or Members of State Administrative Tribunal in case of absence of Chairpersons, shall be the respective State Government; and
 - (c) Chairperson or Member in case of absence of Chairperson, in cases other than covered in clause (b), shall be the Central Government.
- (6) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairperson, or a Member.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

- **15. Declaration of Financial and other Interests.** The Chairperson, or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.
- **16.Other conditions of service.** (1) The terms and conditions of service of a Chairperson, or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.
- (2) The Chairperson, or Member shall not practice before the Tribunal, after retirement from the service of that Tribunals.
- (3) The Chairperson, or Member shall not undertake any arbitration assignment while functioning in these capacities in the Tribunals.
- (4) The Chairperson, or Member of the Tribunal, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

17. Oath of office and secrecy.— Every person appointed to be the Chairperson, or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms II and III annexed to these rules.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

FORM I

(See rule 4)

| | [Format for | vacancy circular including the format | for application] |
|---------|---|--|---|
| | | F. No | |
| | | Government of India | |
| | | Ministry of | |
| | | Department of | |
| | | **** | |
| | | | Room No |
| | | | New Delhi-110001 |
| | | | Dated, the |
| | | Vacancy Circular | |
| Subject | t: - Selection for the posts of C | Chairperson/Member in | Tribunal-reg. |
| v | - | **** | |
| 1. | Tribunal· - The | (Name of the Tribunal) | Tribunal is an Appellate |
| 1. | authority established under | Act, to hear varie | ous appeals under the <u>Act,</u> . |
| | | and its regional Benches be posted at any of these places. | are situated atA |
| | wiemoer, upon serection, may | be posted at any of these places. | |
| 2. | | peing invited for the following existin | g andanticipated vacancies: Date of Vacancy |
| | Post | Place | Date of Vacancy |
| | | | |
| 3. | | tions. eligibility, salary and other term the provisions of the Tribunal (Cond | ms and conditions of the appointment of a litions of Service) Rules, 2021, |
| 4. | 2021 for recommending name to suitability of application candidates and shortlist candi | es for appointment to the said post sh for the posts by giving due weight dates for conducting personal intera | onstituted under the Tribunal Reforms Act nall scrutinise the applications with respect htage to qualification and experience of ction. The final selection will be done on the dualification, experience |
| 5. | channel(wherever applicable) Certificate to be furnished by photocopies of the up-to-date years duly attested by a Group | and are accompanied with (i) bio the employer/ head of office/ forwar e CR/APAR dossier of the officer co o A officer (iv) cadre clearance (v) in | g officers are requested through proper to-data in the proforma at Annexure-I (ii) ding authority as in Annexure-II (iii) clear ontaining CR/APARs of at least last five tegrity certificate/clearance from vigilance etails of major or minor penalties, if any, |

- **6.** No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction. The candidates are required to make own arrangements.
- 7. Advertisement and Prescribed application form can be downloaded from Ministry's/Tribunals website (name of the website)
- **8.** Any application received after due date without necessary Annexure as mentioned above will not be entertained.

Wide publicity may be given in all organizations and their field formations to facilitate early and optimum number of application.

(Name of the Signing Officer)
Under Secretary to the Govt. of India/Director

Annexure-I

PROFORMA

Space for photograph duly signed by candidate

1. Name :

2. Date of Birth :

3. Category(SC/ST/OBC/UR) :

4. Designation/Profession :

5. Contact Details :

| | Resident | Official | |
|------------------|----------|-----------|--|
| | Present | Permanent | |
| Address: | | | |
| Mobile/Phone No. | | | |
| Email: | | | |

- 6. Cadre/Service [Wherever applicable]
- 7. Educational qualification (in reverse chronological order):

| Sl. No. | Name of University/ Equivalent Institution | Degree | Year of passing | Division/ % of marks obtained | Academic Distinction | Subject/ Specialization |
|---------|---|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. Work Experience:

8A. For the experience as employee, Employment record in chronological order starting with present Employment, list in reverse:

| Sl. No. | Name & address of employer | Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)* | Period of Service | | Nature of work/ experience |
|---------|---|---|----------------------|----|-------------------------------|
| | (Govt./PSU/Ministry/ Department/any other | | From | То | |
| | | | | | |

^{*}Also indicate SI No. in above, which is equivalent to Additional Secretary/District Judge/Additional District Judge/Major General (as applicable under the qualification) or above

8B. For the experience as Professional record in chronological order starting with present Engagement, list in reverse:

| Sl. No. | Details of Profession | Period of Service | | Nature of work done* | |
|---------|--------------------------|-------------------|----|----------------------|--|
| | | From | То | | |
| | | | | | |

^{*}Such as Administration /Service matters /Judicial or Qusai-Judicial /Criminal /Civil /Taxation /Company Affairs /Environmental matters /Finance /Accountancy /Economics /Business /Commerce /Management /Public Affairs or any other as may be applicable. Engagement with Government, if any, may be indicated.

| 9. | in the grade of Additional Secretary/ | : | |
|-----|---|------|----------------------------------|
| | District Judge/Additional District Judge/ | | |
| | Major General to the Government of India | | |
| | or any equivalent rank (wherever applicable). | | |
| | , | | |
| 10. | Write up on adjudicating experience | : | |
| | of the applicant (200 words) | | |
| | [Wherever applicable] | | |
| 11. | Experience alongwith brief write up in handling | : | Details of Such cases |
| | Cases before relevant Courts/Tribunals/ | | (Reported Cases/UnreportedCases) |
| | [if applicable] | | |
| 12. | Proof of Experience, including | | |
| | Enrolment/Registration No. As an Advocate/CA etc. | | |
| | [For candidates other than Govt. or Judicial | | |
| | officers] | | : |
| 13. | Annual Income along with copy of : | | |
| | latest ITR [For Candidates other than | | |
| | Govt. or Judicial Officers] | | |
| 14. | Write up on 05, major achievement : | | |
| | (200 words each) | | |
| | | | |
| 15. | Awards/honours/Publications, if any | : | |
| 16. | Affiliation with the professional bodies/ | : | |
| | Institutions/societies/or any other body | | |
| | Including political party. | | |
| 17. | Additional information, if any, which | : | |
| | You would like to mention in support | | |
| | of the application for the post. | | |
| | DECLARA | TION | |

- 1. I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of knowledge and belief and nothing has been concealed/distorted. If at any time I found to have concealed/distorted any material information; my appointment shall be liable to summary termination without notice.
- 2. I shall not withdraw my candidature after the meeting of the Selection Committee.

| 3. | I shall not decline the appointment, if selected for appointment by the ACC. | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 4. | I shall join within 30 days from the date of issue of order of appointment. | | | | |
| 5. | I am aware that in case I violate any of the conditions mentioned at SI.No.2 to 4, the Government of India is likely to debar me for a period of three years for consideration for appointment outside the cadre and in any Autonomous Body/Statutory Body/Regulatory Body. | | | | |
| Place : | | | | | |
| Date: | | | | | |
| | Signature of the candidate | | | | |
| | Annexure-II CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF | | | | |
| | OFFICE/FORWARDEING AUTHOTITY | | | | |
| 1. | Certified that the particular furnished by Shri/Smt/Kumare correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in Annexure-I. | | | | |
| 2. | It is also certified that there is no vigilance/ disciplinary case either pending or being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by CVO in the enclosed Annexure (III). | | | | |
| 3. | His/her integrity is certified. | | | | |
| 4. | No major or minor penalty was imposed on Shri/Smt/Kumduring the last 10 years period. | | | | |
| 5. | The up-to-date attested Photostat copies of ACR/APAR of last years (each Photostat copy of ACR/APAR should be attested) in respect of Shri/Smt/Kumin enclosed herewith. | | | | |
| | Seal & Signature of the cadre controlling Authority | | | | |
| PAI | Annexure-III RTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARANCE IS BEING SOUGHT | | | | |
| | (To be furnished and signed by the CVO or HOD) | | | | |
| | | | | | |
| <u>1.</u> | _Name of the Officer (in full) : | | | | |
| <u>2.</u> | _Fathers name : | | | | |

5. Date of entry into service

3. Date of Birth

<u>4.</u> Date of Retirement

| 6. | _Service to which the officer belongs |
|-----------|---|
| | including batch /year/ cadre etc., |
| | wherever applicable |
| | |
| <u>7.</u> | _Positions held (During ten preceding years): |

| S. No | Organisation | Designation & | Administrative/ | From | То |
|-------|----------------|------------------|---|------|----|
| | (name in full) | Place of Posting | Nodal Ministry/ | | |
| | | | Department concerned (in case of officers of PSUs etc.) | | |
| | | | | | |

8. Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given)

9. Whether any allegation of misconduct Involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 Years and if so with what result (*)

10. Whether any punishment was awards to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of penalty (*)

11. Is any disciplinary/ criminal proceedings or charge sheet pending against the officer as on date (if so, details to be furnished, including reference number, if any of the Commission)

12. Is any action contemplated against the Officer as on date (if so, details to be furnished (*)

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter,

Date:

FORM II

(See rule 17)

Form of Oath of Office for Chairperson/ Member of the (Name of the Tribunal)

I, A. B., having been appointed as Chairperson//Member of the (Name of the Tribunal do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/Member (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of

FORM III

(See rule 17)

Form of Oath of Secrecy for Chairperson/ Member of the (Name of Tribunal)

I, A. B., having been appointed as the Chairperson /Member of the(Name of Tribunal), do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/ Member/ of the said (Name of Tribunal)except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/Member.

[F. No. A.50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (Pt-1)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

Rule 11 gives retrospective operation from the 1st January, 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P(C) No. 804 of 2020. It is certified that no person is adversely affected by giving such retrospective operation.